सत्यमेव जयते

पेंशन संबंधी आदेशों का संग्रह

1.4.2015 से 31.3.2016 तक जारी

कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली

www.pensionersportal.gov.in

1.4.2015 से **31.03.2016**

तक जारी

पेंशन संबंधी आदेशों का

संग्रह

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

भारत सरकार

नई दिल्ली

www.pensionersportal.gov.in

प्रस्तावना

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, पेंशनभोगियों के लिए एक सक्रिय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहा है । विभाग का प्रयास रहा है कि पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों और पेंशनभोगियों सहित सभी हितधारकों को नवीनतम नीतिगत फैसले के बारे में सूचित रखा जाए । विभाग द्वारा जारी सभी परिपत्र और अधिसूचनाएं विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं । तथापि, यह मांग है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्रों / अधिसूचनाओं आदि को तत्काल संदर्भ के लिए एक पुस्तिका संकलन के रूप में भी उपलब्ध होना चाहिए । तदनुसार, विभाग द्वारा वर्ष 2010 से पेंशन संबंधी आदेशों का एक वार्षिक संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है । इस तरह का एक संग्रह पिछली बार जुलाई 2015 में वर्ष 2014-2015 के लिए जारी किया गया था ।

अप्रैल 2015 - 2016 मार्च के दौरान जारी किए गए पेंशन संबंधी आदेशों के संग्रह के सातवें संस्करण को पेश करते हुए मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा इसे उपयोगी पाया जाएगा। मैं इसके सुधार, यदि कोई हो, के लिए सुझाव पाने के लिए भी तत्पर हूं ।

मैं इस संकलन प्रकाशन में अधिकारियों और विभाग के कर्मचारियों द्वारा में किए गए प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा प्रदर्शित करना चाहूंगा । मैं सभी संबंधित पक्षों को, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण की दिशा में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा प्रतिबद्धता को जारी रखने का भी विश्वास दिलाता हूं ।

सी विश्वनाथ

(सी विश्वनाथ)
सचिव
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली
दिनांक: 24 अक्तूबर, 2016

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

01.04.2015 से ***31.03.2016*** के दौरान जारी आदेशों / निर्देशों की सूची

क्र.सं	का.ज्ञा./ अधिसूचना सं.	विषय	जारी करने की तिथि	पृ. सं.
1	38/8/15-P&PW(A)	अतिरिक्त पेंशन के विनियमन में रूपए के अंश को पूर्ण रूपए में परिवर्तित किया जाना ।	16.04.2015	1
2	42/10/2014-P&PW(G)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत की स्वीकृति - संशोधित दर दिनांक 1.1.2015 से लागू	27.04.2015	2-3
3	42/10/2014-P&PW(G)	अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2015 से मंहगाई राहत की स्वीकृति	26.05.2015	4-5
4	33/4/2014-P&PW(F)	केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के प्रपत्र क और ख में अनुसूची IV	02.06.2015	6-10
5	38/37/08-P&PW(A)	वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभेगियों की पेंशन में संशोधन के संबंध में ।	30.07.2015	11-13
6	41/30/2011-P&PW(C)	पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के मामलों में पहचाने गए पेंशनभोगी संघों के पदाधिकारियों को दी जाने वाली आवश्यक सहायता ।	04.08.2015	14
7	41/21/2000-P&PW(D)	पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करना।	12.08.2015	15-16
8	41/21/2000-P&PW(D)	पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करना।	20.08.2015	17
9	42/10/2014-P&PW(G)	केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत की स्वीकृति - संशोधित दर दिनांक 1.7.2015 से लागू ।	28.09.2015	18-19
10	55/6/2015-P&PW(C)	पेंशन संबंधी शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई को संगत बनाना – याचिकाकर्ताओं के लिए मंत्रालयों / विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों को सीपेनग्राम्सव पर अपलोड करना ।	29.09.2015	20
11	4/78/2006-P&PW(D)	केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में पदों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति - नीति की समीक्षा ।	12.10.2015	21-23
12	42/10/2014-P&PW(G)	अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएा) लाभार्थियों को 01.07.2015 से मंहगाई राहत की स्वीकृति	28.10.2015	24-25
13	1/18/01-P&PW(E) (Vol.II)	केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के तहत कुटुंब पेंशन के उद्देश्य हेतु नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्साधिकारी / बोर्ड ।	05.11.2015	26
14	41/21/2000-P&PW(D)	पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करना।	17.12.2015	27

15	4/38/2008-P&PW(D)	ऐसे सरकारी सेवको के संबंध में पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत अंश की बहाली जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में समावेशन (विलयन) पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर लिया था—बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन के लिए दिनांक 01.01.2006 से सैद्धान्तिक पूर्ण पेंशन में बढ़ोत्तरी।	17.02.2016	28

सं. 38/8/15 – पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांक 16 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अतिरिक्त पेंशन के विनियमन में रुपए के अंश को पूर्ण रूपए में परिवर्तित किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/15– पी एंड पी डब्ल्यू (ए) और दिनांक 2.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08– पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के द्वारा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 20% से 100% की दर से अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन की मंजूरी के निर्देश जारी किए गए थे।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि गणना के उपरांत अतिरिक्त पेंशन रुपए के किसी अंश में आती है तो उसका विनियमन किस प्रकार किया जाए। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गई है, और यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम रूप से परिकलित अतिरिक्त पेंशन की राशि को अगले उच्चतर पूर्ण रुपए में परिवर्तित कर दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां वृद्ध पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को, अतिरिक्त पेंशन को पूर्ण रुपए में परिवर्तित किए बिना नियत/संशोधित किया गया है, उन मामलों में भी, अब से अतिरिक्त पेंशन को अगले उच्चतर पूर्ण रुपए में परिवर्तित किया जाए। तथापि, उन मामलों में, इस प्रकार पूर्ण रुपए में परिवर्तित करने के फलस्वरूप 1.1.2006 से अब तक का अवधि के बकाए का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. यह, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 30.3.2015 के आई डी सं. 157/ई V/2015 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. के. मक्कड़)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 27 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति – संशोधित दर दिनांक 1.1.2015 से लागू ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 सितंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1 जनवरी, 2015 से मौजूदा 107% से बढ़ाकर 113% कर दी जाएगी ।

2. ये आदेश (i) केन्द्रीय सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं, किंतु जिन्हें पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्त हो रही है, तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू(बी) के साथ पठित दिनाक 23.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23/1/97-पी एण्ड पी डबल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे ।

3. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन होने पर एकमुश्त धनराशि आहरित किया था, तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्त करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.1.2015 से 113% की दर से महंगाई राहत के भुगतान के हकदार होंगे । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का. ज्ञापन सं. 4/29/99-पी एण्ड पी डबल्यू(डी) में निहित अनुदेश देखें ।

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

क्रमशः..2..

5. नौकरीपेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा केन्द्र सरकार के पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/73/97-पी एण्ड पी डबल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथासंशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/88/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे । जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महँगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ।

7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी ।

8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत पेंशन वितरक बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं. 528-टी ए, II/34-80-II तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं. जीएएनबी सं. 2958/जी ए-64 (ii) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें ।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/ई. V/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।
2. प्रतिलिपि: भारतीय रिजर्व बैंक और सभी प्राधिकृत पेंशन वितरक बैंकों को सूचनार्थ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट ***http://pensionersportal.gov.in*** *देखें।*

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दि नां क : 26 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.01.2015 से महंगाई राहत की स्वीकृति।

इस विभाग के दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) के अनुक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को दिनांक 1.1.2015 से 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की दरों पर मंहगाई राहत की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) के तहत 1.11.1997 से 600/- रु. प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) द्वारा संशोधित कर, समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमशः 3000/- रु., 1000/- रु., 750/- रु. और 650/- रु. कर दिया गया है, वे 1.1.2015 से 223% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(ii) निम्नलिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी जो इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) की शर्तों के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.1.2015 से 215% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(क) दिनांक 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए 1.1.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और आश्रित संतानें, जिन्हें 605/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से संशोधित कर 645/- रु. कर दिया गया है।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, और जिन्हें 654/- रु., 659/- रु., 703/- रु. और 965/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा । जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित लाभार्थियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

3. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25.05.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/ईV/2004 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
प्रतिलिपिः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सभी अधिकृत पेंशन वितरक बैंकों को सूचनार्थ

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट ***http://pensionersportal.gov.in*** *देखें।*

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली 02.06.2015

अधिसूचना

सा.का.नि..... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) संशोधन नियम, 2015 कहा जा सकता है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 की अनुसूची-IV में, क्रमश: फॉर्म 'क' और फॉर्म 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित फॉर्म रखे जाएंगे, अर्थात् :-

फॉर्म क

(नियम 13 (4) (ii) देखें)

नि:शक्तता पेंशन के लिए आवेदन का फॉर्म

भाग-1

(आवेदक के द्वारा भरा जाए)

1	आवेदक का वर्णन : (i) नाम (ii) पदनाम / रैंक (iii) आई आर एल ए/ वैयक्तिक/बल /रेजीमेंट सं. (iv) आधार संख्या (यदि उपलब्ध है) (v)पहचान चिन्ह	फोटो के लिए स्थान
2	पिता या माता या दोनों के नाम क) पिता का नाम ख) माता का नाम	
3	आवेदक की जन्म की तारीख	
4	(i) पिन कोड सहित पत्र व्यवहार का पता (ii) पिन कोड सहित स्थायी पता	
5	चोट/ बीमारी के समय धारित पद	
6	बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता सं. जिसमें पेंशन जमा रखी जाएगी (संयुक्त खाता, स्वयं या उत्तरजीवी पत्नी या पति के साथ) बी एस आर कोड, आई एफ एस सी कोड	
7	संलग्नक प्रतियां : (i) चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां, (ii) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का फॉर्म 3, (ii) नामांकन फॉर्म (पेंशन के संराशीकरण को छोड़कर), (iv) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के फॉर्म 26 में वचनबद्ध पत्र (यदि लागू हो), (v) किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान को लौटाने का वचनबद्ध पत्र (vi) नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का छाप (यदि आवेदक निरक्षर है) (vii) पति-पत्नी के तीन संयुक्त फोटो या जहां संयुक्त फोटो प्रस्तुत करना संभव न हो वहां आवेदक और उसके पति/पत्नी के अलग-अलग फोटो, [टिप्पण – अंगूठे का छाप (यदि आवेदक निरक्षर है) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा और फोटो कार्यालय के प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया हो।	

टिप्पण – कार्यालय प्रधान द्वारा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक के लिए संयुक्त खाता खोलना उन कारणों से संभव नहीं है जो उसकी शक्ति से परे हैं, उक्त आदेश को शिथिल किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

संपर्क नं. .....

ई-मेल आई डी : .....

.....

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर तथा मुहर

आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख :

भाग ।।

(कार्यालय प्रधान द्वारा भरा जाए और लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाए)

1.	(i) वर्तमान या अंतिम धारित पद (ii) चोट लगने/बीमारी होने के समय धारित पद (iii) मुख्यालय/एकक तथा उसका पता (iv) सेवा जिससे वह संबंधित है	
2.	(i) सेवा में प्रविष्ट होने की तारीख (ii) सेवा से बर्खास्त/छोड़ने की तारीख	
3.	कुल अर्हक सेवा (क) वास्तविक (ख) 'घ' और 'ड.' प्रवर्ग के लिए आनुमानिक	
4	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	
5	(i) चोट लगने/बीमारी होने की तारीख को मूल वेतन (ii) चिकित्सा परीक्षण की तारीख को मूल वेतन (जिसके अंतर्गत मूल वेतन में व्यवसाय-निषेध भत्ता भी शामिल है)	
6	चोट लगने /बीमारी होने के कारण हुई नि:शक्तता का प्रतिशत (जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित हो) और वह परिस्थितियां जिसके परिणामस्वरूप वह नि:शक्तता हुई है,	
7	(i) चोट लगने/ बीमारी होने की तारीख (जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित हो) (ii) चिकित्सा परीक्षण की तारीख	
8	सेवा निवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान की राशि	
9	(क) प्रस्तावित नि:शक्तता पेंशन (ख) वह तारीख जिससे पेंशन प्रारंभ होती है	
10	असाधारण कुटुंब पेंशन की दर, यदि चोट लगने की तारीख से या बीमारी होने की चिकित्सा रिपोर्ट की तारीख से 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और उसी चोट या बीमारी के कारण उसने सेवा छोड़ी थी ।	
11	मद 10 में यथावर्णित मृत्यु से भिन्न किसी मृत्यु की दशा में कुटुंब पेंशन की दर -	
	(i) बढ़ी हुई दर पर (ii) साधारण दर पर (iii) वह अवधि जिसके लिए पेंशन देय होगी -- (क) बढ़ी हुई दर पर (ख) साधारण दर पर	

.....

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर तथा मुहर

लेखा अधिकारी

फॉर्म ख

(नियम 13 (4) (ii) देखें)

कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन का फॉर्म

सरकारी सेवा के कारण लगी चोट (चोटों)/बीमारी (बीमारियां) के कारण हुई मृत्यु का दावा करने वाले स्वर्गीय/श्री/श्रीमती.....के संबंध में असाधारण कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन

I. मृत व्यक्ति के संबंध में सूचना

1.	पूरा नाम और पता	
2.	पिता या माता या दोनों के नाम	
3.	जन्म की तारीख	

II. दावा करने वाले के संबंध में सूचना

4.	नाम और पता (ग्राम, डाकघर, जिला, राज्य, पिन कोड दर्शाएं)	
5.	जन्म की तारीख	
6.	आधार संख्या (यदि कोई है)	
3.	सभी स्रोतों से मासिक आय	
4.	मृतक के साथ संबंध	
5.	बैंक का नाम शाखा का नाम खाता संख्या बी एस आर कोड/आई एफ एस सी कोड	

III. मृतक के कुटुंब में जीवित (उत्तरजीवी) सदस्यों के ब्यौरे

संबंध	नाम	जन्म की तारीख (ईस्वी-सन् में)	नि:शक्तता, यदि कोई है	वैवाहिक स्थिति
विधवा/विधुर				
पुत्र				
पुत्री				
पिता				
माता				
भाई				
बहन				

4. यदि दावाकर्ता अवयस्क है या मानसिक विकार या नि:शक्तता से पीड़ित है जिसके अंतर्गत मानसिक बाधा भी शामिल है, अभिभावक या नामांकित व्यक्ति का ब्यौरा, जहां कहीं लागू हो --

नाम	जन्म की तारीख	अवयस्क/मानसिक नि:शक्त दावेदार के साथ संबंध	मृतक सरकारी सेवक के साथ संबंध	डाक का पता

संलग्नक (की प्रतियां) :
1. मृतक कर्मचारी के चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट --
2. संरक्षण प्रमाणपत्र, यदि लागू हो,
3. दावेदार का नि:शक्तता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
4. आय प्रमाणपत्र

आवेदक का नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो संलग्न हैं ।

स्थान :
तारीख :

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)
फोन नं. .....
आयकर स्थायी खाता संख्यां (पैन).....
आधार सं., यदि उपलब्ध हो.....

टिप्पण : यदि मृतक अपने उत्तरजीवी के रुप में कोई पुत्र, विधवा, पुत्री, पिता या माता, भाई या बहन नहीं छोड़ जाता है; तो उसके संबंधी के सापेक्ष "कोई नहीं" प्रविष्ट किया जाएगा ।
स्थान :
तारीख :

(कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर तथा मुहर)'
(फाइल सं. 33/4/2014-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)

(हरजीत सिंह)
उप सचिव

टिप्पण– तारीख 7 अगस्त, 1987 तक यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उक्त नियमों का और संशोधन निम्नलिखित के द्वारा किया गया था --
1. का. आ. सं. 1487 (ई) तारीख 30 दिसंबर, 2003
2. का. आ. सं. 410 (ई) तारीख 15 फरवरी, 2011
3. सा.का.नि. 96 तारीख 26 दिसंबर, 2013

सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 30 जुलाई,. 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की दिनांक 1.1.2006 से लागू संशोधित पेंशन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.2 के अनुसार, दिनांक 1.1.2006 से संशोधित पेंशन, किसी भी मामले में, संशोधन-पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के तदनुरूपी पे बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% से कम नहीं होगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 3.10.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि पे बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% पर पेंशन की गणना, पे बैंड में न्यूनतम वेतन (संशोधन-पूर्व वेतनमान पर ध्यान दिए बिना) और संशोधन-पूर्व वेतनमान के तदनुरूपी पे बैंड में न्यूनतम वेतन ओर ग्रेड पे के योग पर की जाएगी।

2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की प्रधान पीठ, नई दिल्ली में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया गया था कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आईसी में संलग्न फिटमेन्ट टेबल के अनुरूप संशोधन-पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के तदनुरूपी पे बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने ओ ए सं. 655/2010 और तीन अन्य संबंधित ओ ए के मामले में दिनांक 1.11.2011 के अपने आम आदेश में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 29.8.2008 के संकल्प के आधार पर और इस आदेश में माननीय कैट की टिप्पणियों के आलोक में 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनांक 1.1.2006 से पुनर्निधारण करने के निर्देश दिए।

...2/-

3. सरकार द्वारा ओ ए सं. 655/2010 के संबंध में रिट याचिका सं. 1535/2012 और तीन अन्य संबंधित ओ ए के संबंध में रिट याचिका सं 2348-50/12 दायर कर उपर्युक्त आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.4.2013 के अपने आम आदेश में यह टिप्पणी की कि इस बीच पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 28.1.2013 का कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) जारी किया था, जिसमें 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन को दिनांक 24.9.2012 से बढ़ाकर संशोधन-पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, के तदनुरूपी पे बैंड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के योग के 50% करने की व्यवस्था थी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के पैराग्राफ 9 के संदर्भ में अब केवल एक मुद्दा बचता है, जो इसे 1.1.2006 की बजाय दिनांक 24.9.2012 से प्रभावी बनाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.4.2013 के अपने आदेश द्वारा तीन अन्य रिट याचिकाओं के साथ-साथ रिट याचिका सं. 1535/2012 को खारिज कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29.4.2013 के उक्त आदेश के खिलाफ दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (सं. 23055/2013 और सं. 36148-50/2013) को खारिज कर दिया है ।

4. तदनुसार, उपर्युक्त न्याय निर्णय उद्घोषणाओं के अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया है कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को इस विभाग के दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के अनुसार दिनांक 24.9.2012 की बजाय दिनांक 1.1.2006 से संशोधित किया जाए। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 23055/2013 को खारिज किए जाने के उपरांत दिनांक 19/09/2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 26/08/2014 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ओ ए सं. 655/2010 के आवेदकों को पहले ही यह लाभ प्रदान कर दिया गया है।

5. यदि दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार परिकलित समेकित पेंशन/ कुटुंब पेंशन, दिनांक 28.1.2013 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित तरीके से गणना की गई पेंशन की तुलना में अधिक है, तो उसे ही (अधिक समेकित पेंशन/ कुटुंब पेंशन) मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन माना जाएगा।

6. समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 1.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें यथावत् बनी रहेंगी।

...3/-

7. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता कि वे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन आदेशों की विषय-वस्तु को लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारी और अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं। । सभी पेंशन संवितरण कार्यालयों को भी सलाह दी जाती है कि वे पेंशनरों की सुविधा के लिए इन आदेशों को प्रमुखता से अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।

8. यह, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24.7.2015 के आईडी नोट सं. 1(9)/ईV/2011- खंड.II के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हरजीत सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)
2. स्कोवा के सभी सदस्य
3. सभी मान्यता प्राप्त पेंशनभोगी संगठन

प्रतिलिपि: एनआईसी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

फा. सं.41/ 30/2011-पी एंड पी डब्ल्यू (सी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, 4 अगस्त 2015

सेवा में

सभी मंत्रालयों/ विभागों के सभी नोडल अधिकारी
(वेब आधारित पेंशनर्स पोर्टल)

विषय : पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के मामलों में पहचाने गए पेंशनभोगी संघों के पदाधिकारियों को दी जाने वाली आवश्यक सहायता ।

महोदय/ महोदया

जैसा कि आप जानते हैं, पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए आपके आवेदन इस विभाग द्वारा चलाए जा रहे पेंशनर्स पोर्टल में उपलब्ध हमारे सीपेनग्राम्स एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं । संपूर्ण भारत में फैले पेंशनभोगियों के लिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इस विभाग द्वारा देशभर से, संलग्न सूची के अनुसार, 43 पेंशनभोगी संघों की पहचान की गई है । इन संघों को, क्षेत्रीय स्तर पर विभागीय कार्यालयों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के बावजूद मुश्किलें आती हैं । कुछ पेंशनभोगी संघों ने लिखा है कि विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और यह शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए लंबित रहती हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों के बारे में अपने विभाग को जागरूक करें ताकि शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए अनावश्यक विलंब से बचा जा सके । क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्र के अधिकारियों, जहां कहीं भी वे मौजूद हो, से शिकायतों के निवारण में मदद कर रहे पेंशनभोगी संघों को सभी सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया जाता है ।

भवदीया
(सीमा गुप्ता)
उपसचिव

प्रतिलिपि

1. एनआईसी – पेंशनर्स पोर्टल पर पत्र अद्यतन करने के लिए
2. पहचाने गए पेंशनभोगी संघों को सूचनार्थ

सं. 41/21/2000-पी एंड पीडब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
नई दिल्ली - 110003
दिनांक : 12 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करना।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पहचान पत्र जारी करने के लिए इस विभाग के दिनांक 16.11.2000 के का. ज्ञ. सं. 41/21/2000-**P&PW(D)** के तहत निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों को इस विभाग के दिनांक 30.04.2013 और 25.07.2013 के समसंख्यक का. ज्ञ. द्वारा दोहराया/स्पष्ट किया गया था। यह पाया गया है कि विभिन्न विभाग/कार्यालय या तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी नहीं कर रहे हैं या फिर उनके द्वारा जारी पहचान पत्र इस विभाग के दिनांक 25.07.2013 के का. ज्ञ. के टहट निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।

2. इस मामले कि इस विभाग में समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि पहले से निर्धारित ब्यौरे के अलावा पेंशनभोगी पत्र में पेंशनभोगी का आधार कार्ड भी शामिल किया जाए (यदि उपलब्ध हो)। तदनुसार, पेंशनभोगी पहचान पत्र के लिए एक संशोधित फॉर्मेट संलगन है (अनुबंध-**II**)

3. इसके अतिरिक्त उन विभागों / कार्यालयों, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए है, द्वारा पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित विनिर्देश निर्धारित किए गए है:

(i) पेंशनभोगी पहचान पत्र निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए

(ii) पहचान पत्र 81/2 से. मी। एक्स 5 ½ सें. मी। के मानक आकार में होना चाहिए।

(iii) पेंशन भोगी पहचान पत्र 125 जी एस एम या समान उत्तम गुणवत्ता के पेपर पर छपा (हाथ से लिखा हुआ नहीं) हुआ होना चाहिए।

(iv) पेंशनभोगी को पहचान पत्र सौपने से पहले विभाग / कार्यालय द्वारा इसे लेमिनेट क्र लिया जाना चाहिए।

4. भारत सरकार के सभी विभागों से उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में इस विभाग द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार पेंशन भोगियों को निपवादरूप से पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

(हरजीत सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
#24624752

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (डाकसूची के अनुसार)

सं. 41/21/2000–पी एंड पी डब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
दिनांक : 20 अगस्त, 2015

कार्यालय–ज्ञापन

विषय : पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करना।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग कि दिनांक 12.08.2015 के समसंख्यक का. ज्ञा. (प्रति संलग्न) के तहत पेंशनभोगियों के लिए पहचान पत्र जारी करने के लिए दिशा–निर्देश/विनिर्देश निर्धारित करते हुए संशोधित निर्देश जारी किया गया है। इस मामले की आगे और समीक्षा की गई है और दिनांक 12.08.2015 के उल्लिखित का.ज्ञा. को जारी रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली और अन्य महानगरों बड़े शहरों में केंद्र सरकार के कार्यालयों से सेवानिवृत्त हो रहे पेंशनभोगियों के पहचान पत्र 600 डी पी आई रेजोल्यूशन वाले पी वी थर्मल प्रिंटर वाले प्लास्टिक कार्ड के रूप में छापे जाएं। यदि सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के कार्यालय में प्लास्टिक कार्ड छापने के लिए इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पेंशनभोगी पहचान पत्र स्थानीय रूप से बाजार से छपवाया जा सकता है।

2. भारत सरकार के सभी विभागो से महानगरों/बड़े शहरों में अपने नियंत्राणाधीन कार्यालयों के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में पेंशनभोगियों के लिए निरपवाद रूप से पहचान पत्र जारी करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

(हरजीत सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार
24624752

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाकसूची के अनुसार)

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 28 सितंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति – संशोधित दर दिनांक 1.7.2015 से लागू ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत दिनांक 1 जुलाई, 2015 से मौजूदा 113% से बढाकर 119% कर दी जाएगी ।

2. ये आदेश (i) केन्द्रीय सरकार के सभी सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों (ii) रक्षा सेवा एस्टीमेट से भुगतान किए जाने वाले सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, सिविलियन पेंशनभोगियों, (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों, (iv) रेलवे पेंशनभोगियों तथा (v) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों जो भारतीय नागरिक हैं, किंतु जिन्हें पाकिस्तान सरकार के सौजन्य से पेंशन प्राप्त हो रही है, तथा जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू(बी) के साथ पठित दिनाक 23.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 23/1/97-पी एण्ड पी डबल्यू (बी) के अनुसार 3500/- रूपए प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, पर लागू होंगे ।

3. केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय में आमेलन होने पर एकमुश्त धनराशि आहरित किया था, तथा जो इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/59/97-पी एण्ड पी डबल्यू (डी) के अनुसार पेंशन के 1/3 संराशीकृत भाग की बहाली तथा बहाल की गई धनराशि के संशोधन के लिए अर्ह हो गए थे, वे पूर्ण पेंशन पर अर्थात् संशोधित पेंशन जो कि विलयित कर्मचारी बहाली के दिन प्राप्त करता यदि वह विलयन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता, इस विभाग के दिनांक 14.07.98 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में दी गई शर्तों के पूरा होने के अधीन 1.7.2015 से 119% की दर से महंगाई राहत के भुगतान के हकदार होंगे । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का. ज्ञापन सं. 4/29/99-पी एण्ड पी डबल्यू(डी) में निहित अनुदेश देखें ।

4. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

क्रमशः..2..

5. नौकरीपेशा कुटुम्ब पेंशनभोगियों तथा केन्द्र सरकार के पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के मामले में महंगाई राहत को अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधान इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/73/97-पी एण्ड पी डबल्यू(जी) तथा इस विभाग के यथासंशोधित दिनांक 9 जुलाई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/88/2008-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी) में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे । जहां पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उन मामलों में महँगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

6. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश न्याय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे ।

7. प्रत्येक पृथक मामले में देय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की होगी ।

8. महालेखाकार कार्यालय एवं प्राधिकृत पेंशन वितरक बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित दिनांक 23/04/1981 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पत्र सं. 528-टी ए, II/34-80-II तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहायक बैंकों तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र सं. जीएएनबी सं. 2958/जी ए-64 (ii) (सी जी एल)/81 के आधार पर किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों आदि को राहत भुगतान का प्रबंध करें ।

9. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23 सितंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/3/2015-ई.II(बी) की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।
2. प्रतिलिपि: भारतीय रिजर्व बैंक और सभी प्राधिकृत पेंशन वितरक बैंकों को सूचनार्थ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट ***http://pensionersportal.gov.in*** *देखें।*

फा. सं. 55/6/2015-पी एंड पी डब्ल्यू (सी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशन संबंधी शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई को संगत बनाना - याचिकाकर्ताओं के लिए मंत्रालयों / विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों को सीपेनग्राम्स पर अपलोड करना ।

यह देखा गया है कि पेंशन शिकायत से संबंधित अधिकांश मामलों में, मंत्रालय/ विभाग/ संगठन याचिकाकर्ता के मामलें बंद करते समय उनके द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए उत्तर को सीपेनग्राम्स पोर्टल पर अपलोड नहीं करते । इसलिए यह अनुरोध है कि शिकायत के निवारण या वैध कारणों के लिए याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार न करने हेतु यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग/ संगठन द्वारा कोई भी पत्र या आदेश आदि जारी किए जाते हैं तो इसे पोर्टल पर सीपेनग्राम्स में भी अपलोड किया जाए ।

पुनः यह दोहराया जाता है कि चूंकि प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए निपटान की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और शिकायत बंद करने से पहले याचिकाकर्ता को उचित कारण देते हुए एक उत्तर दिया जाना चाहिए तथा इसी उत्तर की एक प्रति सीपेनग्राम्स पर अपलोड की जानी चाहिए ।

(सीमा गुप्ता)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24624802

सेवा में
सभी मंत्रालयों/ विभागों के नोडल अधिकारी
(वेब आधारित पेंशनर्स पोर्टल)

सं. 4/78/2006–पी एंड पी डब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
दिनांक : 12 अक्तूबर, 2015

कार्यालय–ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय स्वायक्तशासी निकायों में पदों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्तिनीति की समीक्षा।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 31.10.2007 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में नीहित निर्देशों के अनुसार,केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति केवल तत्काल आमेलन आधार पर ही की जा सकती है। केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में पदों पर केन्द्र सरकार के कम्रचारियों की प्रतिनियुक्ति केवल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से उन पदों के संबंध में तत्काल आमेलन के नियमों से छूट प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है।

2. तत्काल आमेलन के नियमों के लागू होने के कारण स्वायत्तशासी निकायों द्वारा पदों को भरने में समना की जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग से परामर्श कर इस मामले की समीक्षा की गई है। इस विभाग के दिनांक 31.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन में नीहित निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यदि उन पदों के भर्ती नियमों में विशिष्ट रू॰ से केंद्र सरकार के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है तो तत्काल आमेलन के नियम से छूट लिए बिना प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति को अनुमति दी जाए। यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :

i. प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती करने की अनुमति में जनहित का सामान्य सिद्धांत एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्तीकरने का सामान्य मानदंड यह होगा कि संगठन के भीतर या बाहर नियमित आधार पर तैनाती के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में भर्ती करन के तरीके के रू॰ में प्रतिनियुक्ति को तभी अपनाया जाएगा, जब पदोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए फीडर ग्रेड में पर्याप्त पद नहीं हैं या स्वायत्तशासी निकाय में तत्काल आमेलन आधार पर केंद्र सरकार से उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने की संभावना नहीं है।

ii. स्वायत्तशासी निकायों में आम तौर पर पदों के निम्नलिखित वर्गों के लिए भर्ती करने के एक तरीके के रूप में प्रतिनियुक्ति को अपनाया जा सकता है :

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान या प्रोद्योगिकी विकास के क्षेत्र में ऐसे पद, जिन पर विशेषज्ञ कर्मियों के तैनाती की आवश्यकता होती है।

(ख) कार्यकारी या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पद अर्थात सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले केंद्रीय स्वायत्तशासी निकाय का ऐसा पद जिसका ग्रेड वेतन 7600/– रुपए से कम नहीं है।

(ग) ऐसे पद, जहाँ कार्य की प्रकृति के कारण, सुरक्षा कारणों से या सतर्कता प्रयोजन के लिए सरकार के अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है।

(घ) नव स्थापित / अस्थायी संगठनों में पद (स्थापना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक)।

(ङ) विशेष तौर पर विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में सीमित संख्या वाले पद, जहां नियमित संवर्ग का गठन संभव नहीं है।

(च) प्रत्येक मामले के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त निकाय में छूट देने के लिए पदों की संख्या के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

iii. स्वायत्तशासी निकाय की भर्ती नियमावली में जिस पद पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

iv. यदि स्वायत्तशासी निकाय के किसी पद की भर्ती नियमावली को अधिसूचित नहीं किया जाता है या भार्ती नियमावली में भर्ती करने के एक तरीके के रूप में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था नहीं है, तो तत्काल आमेलन के नियम से छूट प्राप्त करने के संबंध में मौजूदा निर्देश लागू रहेगें।

v. भर्ती नियमावली में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने वाले किसी विशेष ग्रेड में पदों की अधिकतम संख्या/प्रतिशत निर्दिष्ट करना होगा। स्वायत्तशासी निकाय द्वारा भर्ती नियमावली में निर्धारित संख्या से अधिक पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी।

vi. यदि भर्ती नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति कोटा से अधिक सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती करने का प्रस्ताव है, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा इस तरह के भर्ती करन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यदि प्रशासनिक मंत्रालय ने इस तरह के छूट की मंजूरी दे दी है तो तत्काल आमेलन के नियम से छूट की आवश्यकता नहीं होगी।

vii. भर्ती नियमावली में इस आशय का उल्लेख होना चाहिए कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए तत्काल आमेलन के नियमों से छूट लेने की आवश्यकता नहीं है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियों को गैर–केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के पदों पर नियुक्ति माना जाएगा। अतः ऐसी नियुक्तियों पर केंद्रीय स्टाफिंग योजना से संबंधित प्रतिनियुक्ति अवधि की अधिकतम सीमा लागू होगी।

4. दिनांक 31.10.2007 के कार्यालय ज्ञापन के अन्य सभी प्रावधान, जिन्हें विशेष रूप से इस कार्यालय ज्ञापन में संशोधित नहीं किया गया है, यथावत् लागू रहेंगे।

5. स्वायत्तशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक सवंर्ग अनुमति सहित अन्य मंजूरियों से संबंधित निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

6. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त निर्णयों का संज्ञान लेने और सभी संबंधित पक्षों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हरजीत सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 24624752

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाकसूची के अनुसार)

प्रतिलिपि : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)

फा. सं. 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दि नां क : 28 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुग्रह राशि का भुगतान पाने वाले अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) लाभार्थियों को 01.07.2015 से महंगाई राहत की स्वीकृति।

इस विभाग के दिनांक 26 मई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं0 42/10/2014-पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी) के अनुक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को दिनांक 1.7.2015 से 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की दरों पर मंहगाई राहत की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) ऐसे जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18.11.1960 से 31.12.1985 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 45/52/97- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) के तहत 1.11.1997 से 600/- रु. प्रतिमाह की दर से अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) द्वारा संशोधित कर, समूह क, ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए दिनांक 04 जून, 2013 से क्रमश: 3000/- रु., 1000/- रु., 750/- रु. और 650/- रु. कर दिया गया है, वे 1.7.2015 से 234% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(ii) निम्नलिखित श्रेणी के सीपीएफ लाभार्थी जो इस विभाग के दिनांक 16.12.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) की शर्तों के अनुरूप अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.7.2015 से 226% की दर से महंगाई राहत पाने के हकदार हैं।

(क) दिनांक 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए मृत सीपीएफ लाभार्थी या सेवा में रहते हुए 1.1.1986 से पूर्व मृत सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और आश्रित संतानें, जिन्हें 605/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है, और जिसे दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/10/2012- पी एंड पीडब्ल्यू (ई) द्वारा दिनांक 04 जून, 2013 से संशोधित कर 645/- रु. कर दिया गया है।

(ख) केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, और जिन्हें 654/- रु., 659/- रु., 703/- रु. और 965/- रु. की अनुग्रह राशि मिल रही है।

2. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा । जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग से संबंधित लाभार्थियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

3. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25.05.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(4)/ई V/2004 और दिनांक 01.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-ई.II(बी) के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

(चरनजीत तनेजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक
2. प्रतिलिपि: भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) और सभी अधिकृत पेंशन वितरक बैंकों को सूचनार्थ।

पेंशन के बारे में आदेशों जिनमें उपर्युक्त आदेश शामिल हैं के लिए कृपया इस विभाग की वेबसाइट ***http://pensionersportal.gov.in*** *देखें।*

सं. 1/18/01–पी एंड पीडब्ल्यू (ई) (खंड।।)
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
5 नवंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के तहत कुटुंब पेंशन के उद्देश्य हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्साधिकारी/बोर्ड।

इस विभाग के दिनांक 30 सितंबर, 2014 के उपर्युक्त विषयक समसंख्यक ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह अवगत कराया गया था कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कुटुंब पेंशन के उद्देश्य हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 18.6.2010 की अधिसूचना संख्या एस.13020/1/2010 में विनिर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा। यह भी अवगत कराया गया था कि पूर्व के मामलों के संबंध में दिनांक 18.06.2010 के दिशा–निर्देशों या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 (6) के अनुसरण में जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 की धारा 2 (पी) के अनुसार, "चिकित्सा प्राधिकारी", समुचित सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किसी अस्पताल या संस्था से अभिप्रेत है। इसके अनुसरण में राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जाना है।

4. पूर्व के मामलों सहित, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त, निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकार की अधिसूचना द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट कोई अस्पताल या संस्था होगी।

(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/पेंशनभोगी संघ
2. महालेखा नियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली
3. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक का कार्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग , नई दिल्ली
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट–।।, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

सं. 41/21/2000–पी एंड पी डब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
दिनांक : 17 दिसंबर, 2015

कार्यालय–ज्ञापन

विषय : पेंशनभोगियों को पेंशनभोगी पहचान पत्र जारी करना।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 12.08.2015 और 20.08.2015 के समसंख्यक का.ज्ञा. के तहत पेंशनभोगियों के लिए पहचान पत्र जारी करने के लिए दिशा–निर्देश/विनिर्देश निर्धारित करते हुए संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले पर सचिव (पेंशन) की अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ 3–4 सितंबर, 2015 को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भी पुनः प्रेषित की जा रही है।

2. इस विभाग ने एक ड्यूप्लेक्स थर्मल रंगीन प्रिंटर की खरीद की है। इस प्रिंटर को माननीय राज्य मंत्री (पी पी) द्वारा विज्ञान भवन में 26.11.2015 को आयोजित भविष्य पर जागरूकता कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। माननीय राज्य मंत्री (पी पी) के अधीन विभागों के सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भविष्य सोफ्टवेयर के माध्यम से सृजित प्लास्टिक पहचान पत्र जारी किए गए। पहचान पत्र के नमूने की प्रति संलग्न है।

3. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग और संबद्ध तथा आपके नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए प्लास्टिक कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। आवश्यकतानुसार, जैसे भी उपयुक्त हो, आंतरिक/बाह्य प्रिंटिंग सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(हरजीत सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार
24624752

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाकसूची के अनुसार)

सं. 4/38/2008–पी एंड पी डब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
दिनांक : 17 फरवरी, 2016

कार्यालय–ज्ञापन

विषय : ऐसे सरकारी सेवकों के संबंध में पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत अंश की बहाली जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर लिया था–बुजुर्ग पेंशनभोगियों को महंगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन देने के लिए दिनांक 01.01.2006 से नोशनल पेंशन में बढ़ोत्तरी

इस विभाग के दिनांक 15.09.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. के तहत जारी और दिनांक 11.07.2013 के का. ज्ञा. सं. 4/30/2010–पी एंड पी डब्ल्यू (डी) के तहत यथासंशोधित ऐसे आमेलित व्यक्तियों के एक–तिहाई पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए जिन्होंने आमेलन के समय एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली थी। इन ज्ञापनों के अनुसार, इन आमेलित लोगों के पूर्ण पेंशन को इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का. ज्ञा. संख्र 38/37/08–पी एंड पी डब्ल्यू (ए) में निहित निदेशो के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से सैद्धान्तिक रूप से संशोधित किया गया। बुजुर्ग पेंशनभोगियों की मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन को नोशलन पेंशन के आधार पर विनियमित किया जाता है।

2. वर्ष 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के पेंशन को दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाने के लिए इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08–पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के तहत निर्देश जारी किए गए। तदनुसार, आमेलित पेंशनभोगियों के नोशनल पेंशन को भी इस विभाग के दिनांक 03.04.2013 के समसख्यक का. ज्ञा. के तहत दिनांक 28.01.2013 के पूर्वोल्लिखित का. ज्ञा. में निहित निर्देशों के अनुसार दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाया गया।

3. 2006 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के पेंशन/कुटुंब पेंशन में इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के अनुसरण में दिनांक 24.09.2012 के बजाय दिनांक 01.01.2006 से संशोधन करने के लिए इस विभाग के दिनांक 30.07.2015 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08–पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार आमेलित पोंशनभोगियों के नोशनल पेंशन में भी दिनांक 01.01.2006 से संशोधन किया जाएगा और बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए इस प्रकार की संशोधित नोशनल पेंशन पर मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन स्वीकार्य होगी।

4. इसे वित मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 18.01.2016 के आई डी सं. 1(5)/ईवी/2012 के तहत जारी किया जाता है।

(हरजीत सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार
24624752

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाकसूची के अनुसार)